BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 28 अगस्त 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी को 03 वर्ष का कारावास व 15,000 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र गजेन्द्र पाल सिंह निवासी दौलतपुर टीकरी थाना खानपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-1999 में थाना खानपुर क्षेत्र निवासी एक लडकी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 25.05.1999 को थाना खानपुर पर मुअसं-70/1999 धारा- 363,366,368 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 07.06.1999 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 06 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 28.08.2024 को न्यायाधीश श्री वरूण मोहित निगम (मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी-02 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त धर्मेन्द्र को 03 वर्ष का कारावास व 15 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री विजय शर्मा व श्री कुश कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर